

FTS - 57
2013

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर, टोंक राजकीय प्रयोजनार्थ
(परशुराम धानका, आर० ए० एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

27 / 2013
30.01.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

-प्रार्थी

बनाम

रामनिवास पुत्र श्रीनारायण जाति माली (झाडोल्या) निवासी चान्दसेन, तहसील मालपुरा
जिला टोंक

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-

1. राजकीय परोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड०
2. श्री पर्युष जैन एडवोकेट

अभिशांषा

दिनांक 24.08.2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1436 रकबा 4.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम चान्दसेन तह० मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 1.00 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 02.02.1983 के द्वारा श्री रामनिवास पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी चान्दसेन को जरिये नामान्तकरण सं. 1426 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। उक्त भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 2099 दिनांक 28.05.1993 से हुई। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 1426 से गैर खातेदारी व 2099 से खातेदारी को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशांषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री पर्युष जैन एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया किन्तु 20 अवसर देने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं किया गया प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।



सत्य प्रतिलिपि

आज्ञा से

(Signature)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर
टोंक (राज०)

(Signature)
बहिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1436 रकबा 4.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम चान्दसेन राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्बत् 2010 में गैर मुमकिन नाले दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 1.00 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 02.02.1983 को श्री रामनिवास पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी चान्दसेन को जरिये नामान्तरकरण सं. 1426 से गैर खातेदारी दी गई एवं भूमि के खातेदारी अधिकार नामान्तरकरण सं. 2099 दिनांक 28.05.1993 से दिये गये। जबकि भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 02.02.1983 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 1426 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 2099 दिनांक 28.05.1993 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे और ना ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज एवं जवाब पेश किया।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2066-69, नकल नामान्तरकरण सं. 1426, 2099 व खतोनी बन्दोबस्त 2010-29 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्बत् 2010-29 में खसरा नम्बर 1436 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 02.02.1983 को खसरा नम्बर 1436 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला में से 1.00 बीघा भूमि रामनिवास पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी चान्दसेन तहसील मालपुरा के नाम आवण्टन किया गया। आवण्टन आदेश की अनुपालना में रामनिवास पुत्र श्रीनारायण जाति माली को नामा0 सं0 1426 के द्वारा गैर खातेदारी एवं नामा0 संख्या 2099 दि0 28.05.1993 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्बत् 2010-29 में खसरा नम्बर 1436 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। रामनिवास पुत्र श्रीनारायण ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये हैं। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 02.02.1983 को भूमि रामनिवास पुत्र श्रीनारायण के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि रामनिवास पुत्र श्रीनारायण जाति माली निवासी चान्दसेन तहसील मालपुरा जिला-टोंक को दिनांक 02.02.1983 को खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.00 बीघा भूमि वाके ग्राम



सत्य प्रतिलिपि
सत्य प्रतिलिपि

से

सेडर

न्यायालय जिला कलेक्टर
न्यायालय अजमेर/सि०


बविरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

चान्दसेन मे किया गया आवंटन तथा आवण्टन आदेश की पालना मे श्री रामनिवास पुत्र श्रीनारायण के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं० 1426 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं० 2099 दिनांक 28.05.1993 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.00 बीघा भूमि वाके ग्राम चान्दसेन तहसील मालपुरा जिला-टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

किर्णम आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सर्व प्रतिनिधि
आज्ञा से
गडर
न्यायालय अति० जिला कलेक्टर
टोंक (राज०)


श्री रामनिवास पुत्र श्रीनारायण
अति.जिला कलेक्टर, टोंक